

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: एफ.1 (89) डी.एम.ई. / 16 / 7226

जयपुर, दिनांक: 22-11-2016

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित अभ्यर्थियों को बायोकैमिस्ट (Biochemist) के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड-पे रू0 5400/-) में वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 एवं क्रमांक एफ.14(1)एफडी/ रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 22,180/- प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी/रूल्स/06 दिनांक 03.07.2014 के तहत अस्थाई रूप से दो वर्ष के परिबीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते हैं:-

क्र. सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1	पल्लवी तापडिया पुत्री श्री राजेन्द्र हेडा, सी-29, अम्बा बाडी, जयपुर- 302039	एम-03	19-07-1984	GE, WE	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
2	श्रीमती भवानी कोचर पुत्री स्व0 श्री अशोक कुमार कोचर, 3-बी-4, सुखाडिया नगर, बीकानेर शिशु अस्पताल के सामने, श्रीगंगानगर - 335001	एम-06	19-08-1978	GE, WE	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
3	सोनल सुमन पुत्री श्री एस0एन0 सुमन, डी-50, मनीत कैम्पस, नियर रैड फॉक्स होटल, जे0एल0एन0 मार्ग, जयपुर	एम-07	05-07-1981	BC, WE	मेडिकल कॉलेज, कोटा
4	नागराज सोनी पुत्र श्री सीताराम सोनी, 1242/32, दादा भाई कॉलोनी, नसीराबाद रोड, अजमेर - 305001	एम-08	10-12-1986	BC	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर
5	राघव नेपालिया पुत्र श्री वीरेन्द्र नेपालिया, 161, रोड नम्बर 11, अशोक नगर, उदयपुर - 313001	एम-09	21-01-1988	GE	मेडिकल कॉलेज, अजमेर
6	निष्ठा सरल पुत्री श्री रघुनन्दन सरल, 119-ए, जवाहर कॉलोनी, झालावाड़ जिला झालावाड़-326001	एम-10	13-02-1989	BC, WE	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
7	नीतेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री अशोक कुमार गुप्ता, द्वारा श्री रामगोपाल बंसल, 387/27, बापू नगर, अजमेर-305001	एम-12	30-04-1989	GE	मेडिकल कॉलेज, अजमेर
8	मनीषा शर्मा पुत्री श्री केशव दास शर्मा, 69, दिलशाद भवन, चेटक सर्किल, एच.डी.एफ.सी. बैंक सामने, उदयपुर-313004	एम-14	30-06-1986	GE, WE	मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
9	प्रियंका परिहार पुत्री श्री उत्सव लाल परिहार, द्वारा हीरा बाबूजी, भोली बाई के मन्दिर के पीछे, खाण्डा फल्सा रोड, जालौरी गेट के अन्दर, जोधपुर-342001	एम-17	16-01-1990	BC, WE	मेडिकल कॉलेज, जयपुर
10	प्रियंका कुमारी पुत्री श्री बद्री प्रसाद, पता- पत्ति श्री कुमार सैन, गांव नगला भगत, पोस्ट सुनारी, तह0 भरतपुर जिला भरतपुर- 321001	एम-22	12-09-1988	SC, WE	मेडिकल कॉलेज, जयपुर

कृ.प.उ.

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा-नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र/आदेश संख्या प.8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 06.09.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.01.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के अनुबोधक (Memorandum) क्रमांक 13(1)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.03.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(5)वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.07.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सकों के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता का परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सकों की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र (आर.पी.एस.सी. से प्राप्त छाया प्रति के आधार पर) से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीन होगी।

आदेश से,

(भगवत सिंह)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक प. 7 (37)भर्ती/गोपनीय/2013-14/105 दिनांक 27.06.2016 के सन्दर्भ में।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर/बीकानेर।
7. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव